भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2727

04 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद केंद्र

2727. श्री अमरा रामः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का उन राज्यों में खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाने का विचार है, जहाँ किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का लाभ उठाने में असमर्थ हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने एमएसपी के अंतर्गत घोषित फसलों के उत्पादन के उस प्रतिशत के संबंध में कोई आकलन किया है जिसे किसान एमएसपी से कम कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर हुए थे और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के अनुसरण में एमएसपी प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कोई सुधारात्मक कदम उठा रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): प्रत्येक वर्ष, सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर, संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अभिमतों पर विचार करने के पश्चात, 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है।

वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना के स्तर पर एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) निर्धारित करने के पूर्व निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार, सरकार ने वर्ष 2018-19 से सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत मार्जिन के साथ वृद्धि की थी।

एमएसपी का उद्देश्य अधिक निवेश और संतुलित फसल प्रणाली को प्रोत्साहन करने के दृष्टिगत उत्पादकों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। एमएसपी की घोषणा के पश्चात, निर्दिष्ट खरीद एजेंसियां कृषि फसलों की खरीद की पेशकश करती हैं और किसानों के पास अपनी उपज को सरकारी एजेंसियों को या खुले बाजार में बेचने का विकल्प होता है, जो भी उनके लिए लाभकारी हो। इस प्रकार, एमएसपी कृषि बाजार मूल्यों को स्थिर करने और किसानों को अत्यधिक मूल्य अस्थिरता से बचाने का एक तंत्र है। कुल उत्पादन में से, केवल विपणन योग्य अधिशेष ही सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध होता है, जब इन उत्पादों का बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे गिर जाता है।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, राज्य सरकार की एजेंसियों और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं, धान, अनाज और मोटे अनाज की खरीद केंद्रीय पूल के लिए करता है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की मूल्य समर्थन स्कीम के तहत, अधिसूचित दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद राज्य द्वारा केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से की जाती है। उपर्युक्त खरीद कार्यों के तहत, उत्पादन, विपणन योग्य अधिशेष, किसानों की सुविधा और भंडारण एवं परिवहन जैसे कि लॉजिस्टिक्स एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता के आधार पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा खरीद केंद्र स्थापित किए जाते हैं। धान की खरीद के लिए एफसीआई और राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा संचालित खरीद केंद्रों की संख्या, केएमएस 2023-24 के दौरान 46,554 से बढ़कर केएमएस 2024-25 दौरान

50,334 हो गई। गेहूं की खरीद के लिए, खरीद केंद्रों की संख्या आरएमएस 2023-24 के दौरान 17,611 से बढ़कर आरएमएस 2024-25 के दौरान 20,711 हो गई।

पीएम-आशा की मूल्य समर्थन स्कीम (पीएसएस) के तहत, खरीद अवधि सामान्य तौर पर 90 दिनों तक होती है और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध पर इसे 30 दिनों तक और बढ़ाया जाता है। खरीद की पहुंच को और बढ़ाने के लिए, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएससी), किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) और सहकारी समितियों को खरीद कार्यों से जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय नोडल एजेंसियों को आवश्यकतानुसार, अपने खरीद केंद्रों के माध्यम से पूर्व-पंजीकृत किसानों से तुअर, चना, मसूर और उड़द सहित अधिसूचित दलहन की सीधी खरीद करने की अनुमति दी गई है। नैफेड (नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) और एनसीसीएफ (नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) द्वारा मूल्य समर्थन स्कीम (पीएसएस) के तहत संचालित खरीद केंद्रों की संख्या वर्ष 2023-24 के दौरान 6,258 से बढ़कर वर्ष 2024-25 के दौरान 13,916 और आगे वर्ष 2025-26 के दौरान 17,317 हो गई।

इसके अलावा, कपास और कच्चे जूट की खरीद एमएसपी पर कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) और जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (जेसीआई) द्वारा की जाती है। किसानों को एमएसपी खरीद की सुविधा प्रदान करने और खरीद प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने के लिए, सीसीआई ने अपने खरीद नेटवर्क का विस्तार किया है, किसान पंजीकरण और स्लॉट बुकिंग के लिए कपास किसान ऐप लॉन्च किया है, एसएमएस आधारित अपडेट प्रदान किए हैं, जागरूकता अभियान चलाए हैं और शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किए हैं। सीसीआई द्वारा संचालित एमएसपी खरीद केंद्रों की संख्या वर्ष 2021-22 के दौरान 437 से बढ़कर वर्ष 2025-26 दौरान 571 हो गई। इसी प्रकार, जेसीआई ने समय पर बाजार में हस्तक्षेप और प्रभावी एमएसपी संचालन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल किसान पंजीकरण, ऑनलाइन खरीद और निगरानी प्रणाली तथा प्रौद्योगिकी आधारित फसल निगरानी तंत्र कार्यान्वित किए हैं। इसके अतिरिक्त**,** जेसीआई ने समय पर एमएसपी संचालन को सुगम बनाने और किसानों की खरीद तक पहुंच में सुधार करने के लिए प्रमुख जूट उत्पादक राज्यों में 110 विभागीय क्रय केंद्र (डीपीसी) बनाए रखते हुए अपनी खरीद व्यवस्था को सुदृढ़ किया है।

(ग): कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) एमएसपी की सिफारिश करते समय, उत्पादन लागत, घरेलू और विश्व बाजार में विभिन्न फसलों की समग्र मांग-आपूर्ति स्थिति, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कीमतें, फसलों के बीच मूल्य समानता, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र के बीच व्यापार की शर्तें, शेष अर्थव्यवस्था पर मूल्य नीति का संभावित प्रभाव और उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत का मार्जिन जैसे महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है।

एमएसपी में वृद्धि से देश के किसान लाभान्वित हुए हैं। सभी 22 एमएसपी फसलों की कुल खरीद वर्ष 2004-14 के दौरान 6,987 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) से बढ़कर वर्ष 2014-26 (जून 2026 तक) के दौरान 12,819 लाख मीट्रिक टन हो गई है। किसानों को भुगतान की गई एमएसपी राशि वर्ष 2004-14 के दौरान 7.41 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2014-26 (जून 2026 तक) के दौरान 27.80 लाख करोड़ रुपये हो गई है।

एमएसपी खरीद प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और किसान-हितैषी बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर अपनी उपज बेचने में सुविधा प्रदान करने के लिए पर्याप्त संख्या में खरीद केंद्र खोले गए हैं। मौजूदा मंडियों और डिपो/गोदामों के अतिरिक्त प्रमुख स्थानों पर अस्थायी खरीद केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। खरीद कार्यों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक्स व्यवस्था की गई है, जिसमें गनी बैग, भंडारण सुविधाएं, परिवहन, वजन उपकरण और गुणवत्ता परीक्षण अवसंरचना शामिल हैं। किसानों की जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए, खरीद कार्यक्रम, खरीद केंद्रों के

स्थान और उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) मापदंडों के संबंध में स्थानीय भाषाओं में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता है। किसान पंजीकरण, खरीद संचालन और एमएसपी भुगतान के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को शामिल करते हुए समर्पित पोर्टलों के माध्यम से खरीद प्रक्रिया को भी डिजिटाइज़ किया गया है।

सरकार ने वर्ष 2030-31 तक दलहन आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य आयात को कम करना, दलहन पर निर्भरता को घटाना और दलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। दलहन के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार पीएम-आशा के एक घटक, मूल्य समर्थन स्कीम (पीएसएस) के तहत राज्य सरकार के अनुरोध पर पूर्व-पंजीकृत किसानों से तुअर, उड़द और मसूर की खरीद कर रही है, उतनी ही मात्रा में जितनी उन्होंने नैफेड और एनसीसीएफ को दी थी।

सरकार शीघ्र खराब होने वाले और पीएसएस के अंतर्गत शामिल न किए गए कृषि और बागवानी उत्पादों की खरीद के लिए प्रधानमंत्री-आशा के एक घटक बाजार हस्तक्षेप स्कीम (एमआईएस) भी कार्यान्वित करती है। इस स्कीम का उद्देश्य इन उत्पादों के उत्पादकों को बंपर फसल होने पर, आवक के चरम समय में, जब कीमतें आर्थिक स्तर और उत्पादन लागत से नीचे गिर जाती हैं, तो मजबूरी में बिक्री करने से बचाना है। बाजार में प्रचलित कीमतों में पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में कम से कम 10 प्रतिशत की गिरावट होनी चाहिए। यह स्कीम राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के अनुरोध पर कार्यान्वित की जाती है।

सरकार ने वर्ष 2024-25 सीजन से बाजार हस्तक्षेप स्कीम (एमआईएस) के तहत भावांतर भुगतान (पीडीपी) का एक नया घटक शुरू किया है, जिसके अंतर्गत शीघ्र खराब होने वाली फसलों के लिए किसानों को बाजार हस्तक्षेप मूल्य (एमआईपी) और विक्रय मूल्य के बीच के अंतर का सीधा भुगतान किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास फसल की भौतिक खरीद करने या किसानों को एमआईपी और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर भुगतान करने का विकल्प है।

इसके अलावा, वर्ष 2024-25 के सीजन से सरकार ने किसानों के हित में केंद्रीय नोडल एजेंसियों और राज्य द्वारा नामित एजेंसियों को टीओपी फसलों (टमाटर, प्याज और आलू) के भंडारण और परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति करने के लिए बाजार हस्तक्षेप स्कीम (एमआईएस) के तहत एक और घटक जोड़ा है, ताकि टीओपी फसलों को उत्पादक राज्य से उपभोक्ता राज्यों तक पहुंचाया जा सके।
